

संबंधित बताने-

प्रशिक्षण प्रशासन गढ़वाली शिक्षा परिषद, पूर्व दिल्ली/कनौली कार्यालय और इतिहास एवं विज्ञान द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु दिल्ली में 2020 तक गढ़वाली शिक्षा परिषदों की अनुसंधान प्रदान किए जाने की अवधि प्राथमिक शिक्षा परिषद 2020 तक प्रदान की जायेगी। सम्बद्धता विभाग प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 15.8.2020 को सम्बद्ध प्राथमिक शिक्षा परिषद प्रदान करने की अवधि में प्रशिक्षण प्रशासन के द्वारा प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 15.8.2020 को सम्बद्ध प्राथमिक शिक्षा परिषदों की सम्बद्धता पूर्व की सम्बद्धता प्रशासन के सम्बद्धता विभाग/प्रशिक्षण प्रशासन द्वारा प्रदान किए जाने पर दिनांक 15.8.2020 तक प्रदान किए जाने का निर्धारण किया गया।

उक्त की अनुसंधान के सम्बद्धता समिति की बैठक के सत्र-20 में निर्धारित इन इच्छित प्राथमिक शिक्षा परिषदों को सम्बद्धता प्रदान करने का निर्धारण किया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा प्रदान विभाग-विशेष कर विभाजन विशेष शिक्षा प्रदान करने में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु निर्धारित प्राथमिक शिक्षा परिषदों को सम्बद्धता प्रदान करने का निर्धारण किया गया।

विशेष श्रेणी में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु निर्धारित प्राथमिक शिक्षा परिषदों को सम्बद्धता प्रदान करने का निर्धारण किया गया।

विशेष श्रेणी में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु निर्धारित प्राथमिक शिक्षा परिषदों को सम्बद्धता प्रदान करने का निर्धारण किया गया।

विशेष श्रेणी में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु निर्धारित प्राथमिक शिक्षा परिषदों को सम्बद्धता प्रदान करने का निर्धारण किया गया।

विशेष श्रेणी में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु निर्धारित प्राथमिक शिक्षा परिषदों को सम्बद्धता प्रदान करने का निर्धारण किया गया।

दिनांक 14-08-2020 को अलग गढ़वाल समिति की बैठक में निर्धारित प्राथमिक शिक्षा परिषदों की अनुसंधान के अलग गढ़वाल समिति की बैठक में निर्धारित प्राथमिक शिक्षा परिषदों को सम्बद्धता प्रदान करने का निर्धारण किया गया।

क्र. सं.	संख्या	संस्था का नाम	संबद्धता का नाम	एपेक्स/प्रशिक्षण/प्रशिक्षण/सम्बद्धता/2020/1979	प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसंधान प्रदान किया गया
1	100	एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ़ एजुकेशन, गढ़वाल	एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ़ एजुकेशन, गढ़वाल	80	80
				80	80

संबद्धता हेतु सूची

- ✓ संस्था एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ़ एजुकेशन/एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ़ एजुकेशन द्वारा निर्धारित की गयी सूची का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था प्रदान करने वाली प्राथमिक शिक्षा परिषद 1992 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 से सम्बंधित विनियमवली-2010 तक अन्य निर्धारित दिनांक एवं अवधि का अनुपालन करेगी तथा सुदूर निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित सुदूर तीन वर्षीय इच्छित प्राथमिक शिक्षा परिषदों हेतु सत्र 20.10.2020/- प्रतिवर्ष दो वर्षीय कार्यालयी प्राथमिक शिक्षा परिषदों हेतु सत्र 20.10.2020/- प्रतिवर्ष एक एक सत्र दो वर्षीय प्राथमिक शिक्षा परिषदों (दो वर्षीय कार्यालयी प्राथमिक शिक्षा परिषदों के अतिरिक्त) हेतु सत्र 20.10.2020/- प्रतिवर्ष सुदूर दो वर्षीय सत्र/सत्र दो वर्षीय शिक्षा प्रदान करेगी। सम्बद्धता के अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा परिषदों से सुदूर दो वर्षीय में सम्बद्धता प्रदान करने पर शासन द्वारा निर्धारित किये जाने वाले शासनदेश प्रभावी होने, और अनुसंधान कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण प्रशासन समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु प्रशिक्षण के अनुसंधान किया जाया है, तो प्रशिक्षण की नवीनता दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (एपेक्स प्राथमिक शिक्षा समिति) तथा अन्य समितियों, संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करने की निर्धारित दिनांक-2010 की सूची का अनुपालन करना होगा।


 Apex Institute of Technology
 48 Kirti Nagar, New Delhi 110015, India
 011-24483273

संख्या-
10/2024

APEX INSTITUTE OF TECHNOLOGY, VILLAGE & POST-KAUSHALGANJ, DISTT. RAMPUR, BILASPUR, RAMPUR



सुनील कुमार सोनक

सचिव



Apex Institute of Technology
Vid Kaushalganj, Rampur (Rampur) U.P.
PIN-244923

- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्दिष्ट आगगादेशों को अनुसार विरीक्षण एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को सहायक/सिटी/डी/ई को आगगादी सब हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/आगगादेशों/निर्देशों एवं निर्देशांक, प्राविधिक शिक्षा, उपाय, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश न्यायिक न्याय न्याय, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी परामर्शदाता की संस्थाएं यदि मौजूदा/नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ होती हैं तो इस संस्था में समस्त उत्तराखण्ड संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशांक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई नए बाध्य किया जाएगा है तथा बाध्य नए के संबंध में भी आगगादेशों द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति/समर्थन/आदेश निर्दिष्ट किया जाता है तो संस्था तत्पश्चात् संबंधित संस्था को पंजीय होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश पूर्व के लिए आगगादेश प्राप्त करना हेतु आवश्यक प्रवेश होने के पूर्व मौजूदा/डी/ई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद/अधिकारियों को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति/विधि के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषण हेतु निर्दिष्ट नवीनतम आगगादेश विधि का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, राज-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुनिश्चित, आगगादेश सुनिश्चित आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त आगगादेश उपलब्ध करने के साथ-साथ, योजना के संस्था में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्देशांक/समिति के संकाय उपलब्ध करवाये गये अधिनियम, भूमि-पान, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था की सम्पत्ति समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने उपलब्ध शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निर्देशानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(संजीव कुमार सिंह)
सचिव

पृष्ठ सं- प्राशिव/परिषद सम्बद्धता/2018/088-1518

तारीख: 15-5-2018

प्रातिनिधि- प्रधानाचार्य, एमएस इस्टीओ आरक टेक्नालोजी, विलेज एन्ड पीओ करीबलगांज, जनमद रागपुर, विलासपुर, रागपुर।

(संजीव कुमार सिंह)
सचिव

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथम/परिषद लखनऊ/2018/388

संख्या दिनांक: 15-5-2018

:-कार्यालय ज्ञान:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा द्वितीय सत्र 2018-19 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुदान प्रदान किए जाने को खरसा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षण विभाग से समझौता/सम्झौता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2018 को निर्देशन, पीएन विभाग एवं प्रशिक्षण स्तरीयता की संस्थाओं में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2018-19 हेतु आवेदन नई संस्थाओं को समझौता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को समझौता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश आस्ता वृद्धि हेतु सत्र 2018-19 हेतु समझौता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में समझौता समिति की बैठक को मद्-4 में पूर्व से सम्झौता द्वितीय पाली में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन करने वाली द्वितीय स्तरीय संस्था का इतरण एक सत्र। समझौता समिति द्वारा महत्व विचार-विमर्श उप निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

“ संलग्नक-3 में अंकित गिर्नी क्षेत्र में शिक्षा विधी स्तरीय संस्थाएं, जिनमें द्वितीय पाली में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन हेतु एम्पाई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2018-19 हेतु अनुदान विस्तार प्रदान किया गया है, और संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा परिषद से पूर्व से सम्झौत हैं, के संबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया एवं सत्र 2018-19 हेतु द्वितीय पाली में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु परिषद से समझौता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।”

उक्त निम्नानुसार संयोजित संस्था को परिषद की समझौता समिति द्वारा निम्न पूर्व निर्णय के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षण विभाग द्वारा सत्र 2018-19 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अंकित प्रवेश आस्ता हेतु समझौता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एम्पाई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2018-19 हेतु अनुदान प्रदान किया गया	परिषद द्वारा सत्र 2018-19 में अनुदानित किया गया
1	डी.ए.ए. कॉलेज, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, शिक्षण विभाग, उच्च शिक्षण विभाग, लखनऊ।	डिप्लोमा इन एजुकेशन (डी.ए.ई.)	₹ 20,00,000/-	₹ 20,00,000/-

समझौता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एम्पाई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं उच्च शिक्षण विभाग प्राथमिक शिक्षा परिषद विभागमंडली 1692 तथा उच्च शिक्षण विभाग एवं उन्नाव में अनुदान करेगी तथा अनुदान समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के अनुदानों को समीच करेगी पाठ्यक्रम प्रति (₹ 20,00,000/-) प्रतिवर्ष एवं एक सत्र को वर्षीय अनुदानों हेतु ₹ 21,50,000 शुल्क ही प्रत्येक सत्र/सत्र से प्राप्त किया जायेगा। संशोधन के प्रतिशत आदि से शुल्क में सम्झौत में समझ-समझ पर सत्र हेतु अनुदान निर्णय किये जाने वाले अनुदानों का भी ध्यान रहे, और अनुदान कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रदान किया जायेगा। तीन वर्षों के अनुदानों द्वारा यदि सत्र 2018-2019 हेतु भीत का पुनर्निर्धार किया जाता है। तो भीत की नवीकरण पर लागू होगी।
- ✓ संस्था को एम्पाई प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उच्च समितियों, संस्थाओं को समझौता शिक्षण विभाग विभागमंडली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समझौता प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शर्तों के अन्तर्गत उक्त जाने की शर्तों में उक्त अन्तर्गत शर्तों के निर्देशानुसार ही प्रवेश की आवश्यकता की जायेगी।